मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 1515 / 29 / 2023 / चयन   इन्दौर दिनांक 09 AUG 2024

/ / विज्ञप्ति / /

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित पद " व्याख्याता कौमारभृत्य" हेतु उम्मीद्वारी निरस्त किए गए आवेदिका से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन निराकरण संबंधी जानकारी।

आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. 15/2023 दिनांक 26.06.2023 एवं समय–समय पर जारी शुद्धिपत्रों के अंतर्गत **मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत "व्याख्याता कौमारभृत्य"** के कुल 03 (UNR-01,ST-01,OBC-01) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया हैं । उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 20.08.2023 निर्धारित थी एवं अभिलेख सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 28.08.2023 तक निर्धारित थी।

02/ आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5689/39/2023/चयन, दिनांक–25.07.2024 अनुसार **"व्याख्याता कौमारभृत्य"** के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि उम्मीद्वारी निरस्ती के संबंध में यदि कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है । आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए नस्तीबद्ध किए जाऐंगे ।

03/ आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में 01 आवेदिका डॉ. सुनिता पटेल, अनारक्षित श्रेणी, जिनकी उम्मीद्वारी अनारक्षित श्रेणी में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अर्ह आवेदक के कट ऑफ मार्क्स से कम अंक होने से निरस्त की गई हैं, उनके द्वारा आयोग के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, आयोग के विचारोपरांत आपत्ति अभ्यावेदन आदेशानुसार अमान्य किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता हैं।

अपर परीक्षा नियंत्रक (चयन)